केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की जा रही हैं ।

महामहोपाध्याय की उपाधि

1778. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महामहोपाध्याय की उपाधि किस सन् से कब तक दी गई ;

(ख) अब तक राज्यवार और वर्षवार किन किन व्यक्तियों को यह उपाधि दी जा चुकी है ; और

(ग) यह उपाधि आगे न देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1887 में शुरू होने से 1946 तक ।

(ख) इस सूचना को एकत्रित करने में लगने वाले श्रम और व्यय की तुलना में उससे प्राप्त होने वाला परिणाम नगण्य होगा ।

(ग) एक उपाधि के रूप में इसके दिये जाने के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के उपबन्ध लागू हो जायेंगे ।

Recognition of Degrees of Tribhuvan University

1779. **Shri Balmiki:**
Shri Dinen Bhattacharya:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Madhu Limaye:
Shri M. M. Haq:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government recognise the degrees of Tribhuvan University (Nepal) for the purposes of employment under them; and

(b) if not, the time it will take for Government to recognise such degrees?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) No Sir.

(b) The matter is under consideration of the Government; and a decision will be taken as early as possible.

मोतिया खां, दिल्ली के इस्पात के व्यापारी

1780. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 मार्च, 1965 को मोतिया खां, दिल्ली के इस्पात के व्यापारियों के घरों तथा दुकानों की तलाशी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कितने घरों और दुकानों की तलाशी हुई थी; और

(ग) तलाशी के दौरान जब्त की गई चीजों का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) पहाड़गंज और हौज काजी थानों में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन दर्ज किये गये लोहे व इस्पात के सामान प्राप्त करने और उनकी बिक्री के तथाकथित अभियोग के 31 मामलों की जांच के सम्बन्ध में 29 दुकानों और 32 घरों की तालाशी ली गई थी ?

(ग) इन तलाशियों के दौरान कोई माल बरामद नहीं हुआ किन्तु बहुत से दस्तावेज और रिकार्ड कब्जे में कर लिये गये ।